



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 4 सितम्बर, 1975

भाद्रपद 13, 1897 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 3307/सत्रह-वि-1-116-1975

लखनऊ, 4 सितम्बर, 1975

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण विधेयक, 1975 पर दिनांक 30 अगस्त, 1975 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 41, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण अधिनियम, 1975

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 41, 1975)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन स्थापित परिणियत निकायों पर (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा शासित विश्वविद्यालयों को छोड़कर) राज्य सरकार के नियंत्रण की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छठ्ठीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

संक्षिप्त नाम
तथा प्रारम्भ

2--उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा शासित विश्वविद्यालयों को छोड़कर किसी भी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित निकाय (चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो), अपने कृत्यों का निर्वहन करने में, नीति के प्रश्नों पर, इस बात के होते हुए भी कि ऐसे परिणियत निकाय को स्थापित या गठित करने वाली विधि के अधीन राज्य सरकार को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है, ऐसे निदेशों द्वारा पत्र-प्रदर्शित होगा जो उसे राज्य सरकार द्वारा दिये जायें।

परिणियत निकायों
को निदेश देने
की शक्ति

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई मामला ऐसा है अथवा नहीं जिसके संबंध में राज्य सरकार धारा (1) के अधीन कोई निदेश जारी कर सकती है, तो राज्य सरकार का विनिश्चय प्रतिक्रिया होगा।

No. 3307 (2) /XVII.V.1-116-1975

Dated Lucknow, September 4, 1975

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sarvajanik Nigamon Par Niyantran Adhiniyam, 1975 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 41 of 1975), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 30, 1975 :

THE UTTAR PRADESH STATE CONTROL OVER PUBLIC CORPORATION ACT, 1975

(U. P. Act No. 41 of 1975)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for the control of State Government over statutory bodies established under any Uttar Pradesh Act (excepting Universities governed by the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973).

It is HEREBY enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Control Over Public Corporations Act, 1975.

Short title and commencement.

(2) It shall come into force at once.

2. (1) Every statutory body (by whatever name called), established or constituted under any Uttar Pradesh Act, excepting Universities governed by the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, as re-enacted and amended by the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974, shall, in the discharge of its functions, be guided by such directions on questions of policies, as may be given to it by the State Government, notwithstanding that no such power has expressly been conferred on the State Government under the law establishing or constituting such statutory body.

Power to issue directions to statutory bodies.

(2) If any question arises whether any matter is or is not a matter as respect which the State Government may issue a direction under sub-section (1), the decision of the State Government shall be final.

आज्ञा से,

कलाना नाथ सोयल,

सचिव।